न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 02 /2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
यूको बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै.म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता में स्थित कार्यरत है जिसका एक शाखा कार्यालय–डांगावास, जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित व कार्यरत है।		1. मैसर्स श्री श्याम सीमेन्ट एजेन्सी, जरिये प्रोपराइटर श्री नरेन्द्र कुमावत पुत्र श्री जय प्रकाश कुमावत पताः ब्राम्हण स्वर्णकार पंचायती भवन, रैणी गेट, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान 2. श्री नरेन्द्र कुमावत पुत्र श्री जय प्रकाश कुमावत पताः सेवगो का मौहल्ला, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान

आदेश दिनांकः– 04-01-2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को खाते में **15,00,000/–(अक्षरे पन्द्रह लाख रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 28.11.2015** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– नरेन्द्र कुमावत पुत्र श्री जय प्रकाश कुमावत की आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 98 जो विशाल नगर, मेड़ता सिटी, जिला नागौर (राजस्थान) पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 864 वर्ग फिट है। जिसके चतु सीमाये पूर्व में** रास्ता, **पश्चिम में प्लॉट नं. 94, उत्तर में प्लॉट नं. 99 एवं दक्षिण में प्लॉट नं. 96 एवं 97 है,** जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दरतावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 31.03.2018** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 15,35,460.50/–(अक्षरे पन्द्रह लाख पैंतीस हजार चार सौ साठ रुपये व पचास पैसे मात्र) दिनांक 31.03.2018 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 14.05.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 15,35,460.50/–(अक्षरे पन्द्रह लाख पैंतीस हजार चार सौ साठ रुपये व पचास पैसे मात्र) दिनांक 31.03.2018 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक

जिला मजिस्ट्रेट नागौर

सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी / जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **नरेन्द्र कुमावत पुत्र श्री जय प्रकाश कुमावत की आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 98 जो विशाल नगर, मेड़ता सिटी, जिला नागौर (राजस्थान) पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 864 वर्ग फिट है। जिसके चतु सीमाये पूर्व में रास्ता, पश्चिम में प्लॉट नं. 94, उत्तर में प्लॉट नं. 99 एवं दक्षिण में प्लॉट नं. 96 एवं 97 है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी / अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी / अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **15,00,000 / –(अक्षरें पन्द्रह लाख रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 28.11.2015** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी / ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे सम्पति– **नरेन्द्र कुमावत पुत्र श्री जय प्रकाश कुमावत की आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 98 जो विशाल नगर, मेड़ता सिटी, जिला नागौर (राजस्थान) पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 864 वर्ग फिट है। जिसके चतु सीमाये पूर्व में रास्ता, पश्चिम में प्लॉट नं. 94, उत्तर में प्लॉट नं. 99 एवं दक्षिण में प्लॉट नं. 96 एवं 97 है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक नागौर विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर